रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2001/वैशाख 7, 1923

No. 211] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 2001/VAISAKHA 7, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2001

सा.का.नि. 302(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम 2001 है।

(2) ये 13 दिसम्बर, 1989 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यो के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1988 के उपनियम (2) में, "प्रत्येक पूरे सेवा वर्ष या उसके किसी भाग के लिए सात सौ रुपए प्रति वर्ष की दर पर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "अधिक नहीं होगी" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए चौदह सौ पचास रुपए प्रति वर्ष की दर पर संगणित की जाएगी" शब्द रखे जाएगे।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार की सिफारिशों पर तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन का 13 दिसम्बर, 1989 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार नियमों का 13 दिसम्बर 1989 के भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है। यह प्रमाणित किया जाता है कि तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[ए 11014/12/99-एटी]

आर. के टंडन, सयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा का.नि. 756(अ), तारीख 29 जून, 1988 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए—

(1) सा.का.नि. 1047(अ), तारीख 13-12-1989

(2) सा.का.नि. 47(अ), तारीख 31-1-1994

(3) सा का.नि. 746(अ), तारीख 16-12-1998

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2001

G.S.R. 302(E).—In exercise of the powers conferred by section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988, namely .—

1 (1) These rules may be called the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2001.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 13th day of December, 1989.

2. In rule 8 of the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988, in sub-rule (2), for the portion beginning with the words "seven hundred" and ending with the words "three thousand and five hundred per annum", the words "one thousand four hundred and fifty per annum for each completed year of service" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government, on the recommendations of the Government of Tamil Nadu has decided to revise the pension of Members of the Tamil Nadu Administrative Tribunal with effect from the 13th day of December, 1989. Accordingly, the Rules are being amended retrospectively with effect from 13th December, 1989. It is certified that no Member of the Tamil Nadu Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the amendment being given retrospective effect.

[A. 11014/12/99-AT]
R. K. TANDON, Jt. Secy.

Foot note :—The principal rules were notified vide number G S.R. 756(E), dated the 29th June, 1988 and subsequently amended vide :—

(1) G.S.R. 1047(E), dated 13-12-1989.

(2) G.S.R. 47(E), dated 31-1-1994.

(3) G S.R. 746(E), dated 16-12-1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.